अन्नामलाई और कोचीन विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों में डिग्रियों का दिया जाना

3077. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय और कोचीन विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा बैचलर आफ एकेडेमिक ला तथा बैचलर आफ जनरल ला की डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं; यदि हां, तो क्या इन डिग्रियों से भारत के किसी भी स्थान पर वकालत करने की इजाजत है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पत्राचार के माध्यम से अध्ययन करके विधि में दी गई डिग्रियों को भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है अतः अधिवक्ता के रूप में नामांकन के योजना के लिए अन्नामलै और कोचीन विश्वविद्यालयों द्वारा बैचलर आफ एकेडेमिक लाज और बेचलर आफ जनरल लाज में दी गई डिग्रियों को मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे डिग्री धारकों को भारत में कहीं भी विधि व्यवसाय करने की अनुज्ञा नहीं है।

हॉप्स का आयात

3078. **श्री सुनील बारोंगपा:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में हॉप्स की कुल खपत कितनी है और कुल खपत के कितने भाग का उत्पादन देश में ही होता है तथा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात किए जाने वाले शेष भाग पर कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय किया जाता है; और

(ख) क्या हॉप्स की कुल मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात करने की अपेक्षा देश में ही इसका उत्पादन बढ़ाने और इसके निर्यात को प्रोत्साहन दिए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खान-पान की गाड़ियों को उपयुक्तता प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना

3079. **श्री रशीद मसूद:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निदेशालय द्वारा खान-पान की गाड़ियों को उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में क्या नियम हैं;

(ख) क्या खान-पान की गाड़ियों के लिए उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यातायात पुलिस से अनुज्ञा पत्र लेना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो खान-पान की ऐसी गाड़ियों की संख्या कितनी है जिन्होंने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है; और

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निदेशालय को निदेशालय के मुख्यालय में कार्यरत उपनिदेशक के विरुद्ध खान-पान की गाड़ियों और टैक्सियों को अनुज्ञा पत्र जारी करने में की जाने वाली अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) मोटर-वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 56 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1988 के